उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-22/1644/26-1-2014-4(8)/2014

लखनऊ : दिनांक : 03 जून, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

श्री कृष्णा प्रसाद, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी/प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर सम्प्रति मुख्यालय पर तैनात द्वारा वर्ष 2012-13 में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं की दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजना में शासनादेश संख्या-823/52-3-2013-14(72)/95टीसी, दिनांक 21-03-2013 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन करके शासकीय धनराशि के दुर्विनियोग की शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन शिकायतों की जॉच जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा करायी गई। जिलाधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11-05-2014 द्वारा जॉच रिपोर्ट शासन को भेजी गयी। उक्त जॉच में श्री कृष्णा प्रसाद, पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को उक्त अनियमितताओं के लिए प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पाया गया।

2- तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर रहते हुए श्री कृष्णा प्रसाद द्वारा वरिष्ठ लिपिक मो0 तारिक प्राइवेट कम्प्यूटर आपरेटर श्री सुमित, स्पेक्ट्रम कालेज के रजिस्ट्रार श्री विपिन सिसौदिया एवं अन्य व्यक्तियों के साथ शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के वितरण में सरकारी नियमों एवं आदेशों की अवहेलना की गयी तथा सुनियोजित योजना के तहत कूटरचना के माध्यम से अभिलेखों में हेरा-फेरी करके शुल्कप्रतिपूर्ति संबंधी धनराशि रूपया-41,08,500-00 (रूपया इकतालिस लाख आठ हजार पॉच सौ मात्र) पेशेवर लोगों के खाते में अन्तरित करके गबन किया गया।

3- जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर रहते हुए छात्र-छात्राओं के उच्च मेरिट के आधार पर वरीयता क्रम का उल्लंघन करते हुए कार्यालय कर्मियों एवं संस्थाओं से मिलीभगत कर छात्र-छात्राओं के खाता कई बार परिवर्तित कर सुनियोजित तरीके से फर्जी अभिलेख तैयार कर षडयंत्रपूर्वक शासकीय धनराशि रूपया-79,30,520-00(नवासी लाख तीस हजार पॉच सौ बीस मात्र) का अन्तरण सचिन कम्बोज, सुमित कम्बोज जैसे पेशेवर लोगों के खाते में करके शासकीय धनराशि का दुर्विनियोजन किया गया।

4- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा छात्र/छात्राओं के खाता संख्या कई बार परिवर्तित कर अपात्र लोगों को शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान कर शासकीय धनराशि रूपया-36,92,500/- का गबन/व्यपहरण किया गया।

उक्त अनियमितताओं के आरोपों में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-4(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा श्री कृष्णा प्रसाद को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत प्रकरण की जॉच हेतु श्री अजय शंकर पाण्डेय, अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ को जॉच अधिकारी नामित किया जाता है।

5- निलम्बन की अवधि में श्री कृष्णा प्रसाद को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2-4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मॅहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मॅहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें

http://shasanadesh.up.nic.in

निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मॅहगाई भत्ता अथवा मॅहगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था, निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

6- उपर्युक्त प्रस्तर-5 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जबकि श्री कृष्णा प्रसाद इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

7- श्री कृष्णा प्रसाद निलम्बन अवधि में निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-22/1644(1)/26-1-2014--तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को निलम्बन आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया श्री कृष्णा प्रसाद, जिला समाज कल्याण अधिकारी को निलम्बन आदेश की प्रति तामील कराकर स्पष्ट हस्ताक्षर व दिनांक सहित तामीली की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर ।
5- श्री अजय शंकर पाण्डेय, अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ (जॉच अधिकारी)।
6- उपनिदिशक, समाज कल्याण मेरठ मण्डल, मेरठ।
7- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in